बिहार सरकार **(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)**

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0(विविध)07–60–01/2012– 85

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा0 प्र0 से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक – 28.06.17

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के आलोक में अनु0 जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹7,00,00,000/- (सात करोड़ रू0) मात्र का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के आलोक में अनु0 जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹10,00,00,000/–(दस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति पत्रांक–27 दिनांक–15/06/2017 द्वारा प्रदान की है। उक्त स्वीकृति के आलोक में संलग्न विवरणी–1 के अनुसार कुल ₹7,00,00,000/– (सात करोड़ रू0) मात्र आंवटित की जाती है ।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग सं0–44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0011–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां–विषय शीर्ष–0011.33.02–मुआवजा–विपत्र कोड सं0–44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4– इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीडता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार–प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

6– इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7– इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–04–2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगें।

8– इस राशि की आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

9– आवंटित राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)07–60–01 / 2012– 35 पटना, दिनांक 28.06.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार / वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग / सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / अई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 6/17

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)07–60–01 / 2012–35 पटना, दिनांक 28.06.17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 6/17

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी--

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीपना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनु0 जाति [illegible] (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 [illegible] आवंटित राशि की विवरणी।

(आवंटित राशि का व्यय मुख्य रूप से (i) हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, [illegible] स्थायी अक्षमता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली [illegible] (ii) मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान (iii) यात्रा [illegible] भत्ता, (v) जागरूकता, (vi) प्रचार-प्रसार, (vii) वैधिक सहायता, (viii) [illegible] अनुदान--पुनर्वास, इत्यादि पर किया जायेगा।)

क0	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	30.00
2	नालंदा	20.00
3	रोहतास	10.00
4	भभुआ	40.00
5	भोजपुर	15.00
6	बक्सर	10.00
7	गया	30.00
8	जहानाबाद	15.00
9	अरवल	10.00
10	नवादा	15.00
11	औरंगाबाद	25.00
12	सारण	10.00
13	सिवान	20.00
14	गोपालगंज	40.00
15	मुजफ्फरपुर	20.00
16	सीतामढी	15.00
17	शिवहर	10.00
18	प0 चम्पारण	30.00
19	पू0 चम्पारण	25.00
20	वैशाली	15.00
21	दरभंगा	15.00
22	मधुबनी	20.00
23	समस्तीपुर	20.00
24	सहरसा	20.00
25	सुपौल	20.00
26	मधेपुरा	10.00
27	पूर्णियां	20.00
28	अररिया	10.00
29	किशनगंज	15.00
30	कटिहार	15.00
31	भागलपुर	30.00
32	बाँका	10.00
33	मुंगेर	15.00
34	लखीसराय	15.00
35	शेखपुरा	20.00
36	जमुई	15.00
37	खगड़िया	10.00
38	बेगुसराय	15.00
	कुल योग	700.00

रू0 सात करोड मात्र

पत्रांक 35 दिनांक 28.06.17 का अनुलग्नक।

Atrocity allotment 2016-17

निदेशक 28/6/17